



झारखण्ड सरकार,

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

चायबगान, कालीनगर, नामकोम, राँची-834010.

विवरणिका

विज्ञापन संख्या-01 / 2018

झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल में पारा
चिकित्सा कर्मियों की भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगिता
परीक्षा-2018

JHPCCE-2018 (Regular Vacancy)

- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या-11/क.च.आ.-02-06/2014 का. 6104 (अनु.) दिनांक 11.05.2017 तथा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक- 2212 दिनांक 19.04.2017 के द्वारा संसूचित **परिधापक, महिला नर्स एवं पुरुष नर्स, मिश्रक, फार्मासिस्ट तथा एक्स-रे टेकनीशियन** की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु विहित प्रपत्र में **झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल में पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2018** के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार अर्हता, शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑन-लाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाइट www.jssc.in पर लॉगईन (login) करके समर्पित किया जा सकता है।

2. रिक्तियों का विवरण :

(i) परिधापक

क्र. सं.	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ.पि.व. (अनु.-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बाधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	11	06	02	01	02	22	00	01	00	00

(ii) महिला नर्स (A.N.M.)

क्र. सं.	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ.पि.व. (अनु.-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बाधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	04	02	01	00	01	08	00	01	00	00

(iii) पुरुष नर्स (A.N.M.)

क्र. सं.	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ.पि.व. (अनु.-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बाधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	18	09	03	02	03	35	00	01	01	00

(iv) मिश्रक

क्र. सं.	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ.पि.व. (अनु.-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बाधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	17	09	03	02	03	34	01	01	01	00

(v) फार्मासिस्ट

क्र. सं.	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ.पि.व. (अनु.-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बाधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	03	01	00	00	00	04	00	01	00	00

(vi) एक्स-रे टेकनीशियन

क्र. सं.	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षेत्रीय आरक्षण				
	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ.पि.व. (अनु.-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बाधित निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	05	03	01	00	01	10	00	01	00	00

टिप्पणी: इसके अतिरिक्त अनुसूचित जन जाति के लिए विज्ञापित पदों की संख्या में 2 (दो) प्रतिशत पद आदिम जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षेत्रीय आरक्षण के तहत अनुमान्य होगा। आदिम जन जाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त पद अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। आदिम जनजाति के आरक्षित पद के विरुद्ध दावा करने वाले अभ्यर्थियों को कंडिका 8(III) (i) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त प्रमाण पत्र की संख्या एवं तिथि प्रविष्ट करना होगा।

3. पात्रता:—

क) उपर्युक्त कंडिका-2 में वर्णित पदों पर झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही आवेदन देने के पात्र हैं। अतः विवरणिका के परिशिष्ट-III पर दिये गये प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि तक आरक्षित एवं अनारक्षित दोनों कोटि के अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है।

ख) परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि, स्थानीय निवासी, इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

ग) परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

4. आरक्षित वर्ग के परिधापक की बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या-02/2018 प्रकाशित की गयी है, जिसमें कुल रिक्ति 03 है। विज्ञापन सं0 01/2018 एवं 02/2018 दोनों के लिए अहर्ता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ ही आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑनलाईन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। दोनों विज्ञापनों के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें एक परीक्षा शुल्क देना होगा। दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जायेगी।

5. कड़िका-2 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक तथा तकनीकी योग्यता निम्नवत् है:-

क्रम सं.	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4
(i)	परिधापक	अपु. 5200-20200 ग्रेड पे-1800 रु.18000-41100	झारखण्ड राज्य के शिक्षण संस्थानों से 10वीं (मैट्रिक) कक्षा उत्तीर्णता के साथ सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से परिधापक पद हेतु एक वर्ष प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता
(ii)	महिला नर्स (ए.एन.एम.)	अपु. 5200-20200 ग्रेड पे-2400 रु.25500-58500	क) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ 10वीं (मैट्रिक) कक्षा उत्तीर्ण ख) 18 माह का ए.एन.एम. प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण ग) अभ्यर्थी झारखण्ड नर्सिंग काउन्सिल से पंजीकृत हों
(iii)	पुरुष नर्स (ए.एन.एम.)	अपु. 5200-20200 ग्रेड पे-2400 रु.25500-58500	क) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ 10वीं (मैट्रिक) कक्षा उत्तीर्ण ख) 18 माह का ए.एन.एम. प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण ग) अभ्यर्थी झारखण्ड नर्सिंग काउन्सिल से पंजीकृत हों
(iv)	मिश्रक	अपु.5200-20200 ग्रेड पे-2800 रु.29200-66600	क) इण्टरमीडिएट/10+2 की परीक्षा विज्ञान विषयों में उत्तीर्णता के साथ मिश्रक/फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण अथवा वर्ष 1994 के पूर्व मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्णता के साथ मिश्रक/फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण। ख) उपर्युक्त वांछित डिप्लोमा विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रदत्त होना चाहिए। ग) अभ्यर्थी को झारखण्ड राज्य या अन्य राज्यों के फार्मसी काउन्सिल से पंजीकृत होना चाहिए।
(v)	फार्मासिस्ट	अपु.5200-20200 ग्रेड पे-2800 रु.29200-66600	क) इण्टरमीडिएट/10+2 की परीक्षा विज्ञान विषयों में उत्तीर्णता के साथ फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण अथवा वर्ष 1994 के पूर्व मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्णता के साथ फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण। ख) उपर्युक्त वांछित डिप्लोमा विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रदत्त होना चाहिए। ग) अभ्यर्थी को झारखण्ड राज्य या अन्य राज्यों के फार्मसी काउन्सिल से पंजीकृत होना चाहिए।
(vi)	एक्स-रे टेकनीशियन	अपु.5200-20200 ग्रेड पे-2800 रु. 9200-66600	क) इण्टरमीडिएट/10+2 की परीक्षा विज्ञान विषयों में उत्तीर्णता के साथ एक्स-रे टेकनीशियन का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण। ख) उपर्युक्त वांछित डिप्लोमा विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रदत्त होना चाहिए। ग) अभ्यर्थी को झारखण्ड राज्य या अन्य राज्यों के पारा मेडिकल काउन्सिल से पंजीकृत होना चाहिए। घ) अभ्यर्थी को कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए।

नोट:-शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे अयोग्य समझे जायेंगे।

6. आयु सीमा : उपर्युक्त कंडिका-5 में वर्णित पदों के संदर्भ में न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र की गणना दिनांक 01.08.2017 के आधार पर की जायेगी।

6.1 न्यूनतम उम्र :- कंडिका-5 में अंकित सभी पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष है।

6.2 अधिकतम उम्र :- (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 609 दिनांक 25.01.2016 द्वारा यथा निर्धारित)

(क)	अनारक्षित	-	35 वर्ष।
(ख)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग- (अनुसूची- 1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 (पुरुष)	-	37 वर्ष।
(ग)	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला)	-	40 वर्ष।
(घ)	झारखण्ड राज्य की स्थानीय निवासी महिला [अनारक्षित/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)]	-	38 वर्ष।

(i) सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता सम्बन्धी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पंथ से विहित प्रपत्र में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्तता का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा उससे अधिक हो।

(ii) भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यथा समय आयोग द्वारा माँग की जायेगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा :

निःशक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय दिया जायेगा। इस श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा निम्न शर्तों के अधीन दी जायेगी :-

(i) 40% (चालीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा देय है।

(ii) वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा मिलेगी जिनके प्रवेश पत्र (Admit Card) में Category के समक्ष आरक्षण वर्ग के पश्चात् PH मुद्रित हो।

(iii) निःशक्त अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(iv) निःशक्त अभ्यर्थी प्रवेश पत्र (Admit Card) में निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा प्रदान करने के लिए अपना आवेदन पत्र परीक्षा की तिथि से तीन दिनों पूर्व स्वयं व्यवस्था किए गए श्रुतलेखक/स्क्राइब की **विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-III)** में विवरणी तथा निःशक्तता प्रमाण की स्व-आभिप्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध करायेंगे। तीन दिनों पूर्व आवेदन नहीं देने की स्थिति में श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा केन्द्राधीक्षक द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायगी, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी ही उत्तरदायी होंगे।

- (v) परीक्षा की तिथि को श्रुतलेखक/स्क्राइब के साथ अभ्यर्थी परीक्षा के $1\frac{1}{2}$ घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। जो अभ्यर्थी अपने साथ श्रुतलेखक/स्क्राइब नहीं लायेंगे, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी और इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (vi) केन्द्राधीक्षक द्वारा निःशक्त अभ्यर्थियों को सभी पालियों की परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

8. आरक्षण :

- (I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है।

(II) क्षैतिज आरक्षण

महिला/दिव्यांग कोटि के अधीन क्षैतिज आरक्षण का दावा करने वाले अनारक्षित/आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है।

- (III) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा:—

- (i) जाति प्रमाण पत्र— जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी से विहित-प्रपत्र {अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए परिशिष्ट-I पर अंकित प्रपत्र तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1 एवं 2) के लिए परिशिष्ट-II पर अंकित प्रपत्र} में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।
- (ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 के लिए दिनांक 31.03.2015 के पश्चात् विहित-प्रपत्र (परिशिष्ट-II पर अंकित प्रपत्र) में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- (iii) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को ऑन लाईन आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र की संख्या, इसके निर्गम की तिथि तथा उस प्रमाण पत्र को निर्गत करने वाले प्राधिकार का पद नाम अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। इन प्रमाण पत्रों की जाँच तदहेतु निर्धारित कार्यक्रम में आयोग द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर आवेदन पत्र में भरे गये प्रमाण पत्रों को अनिवार्य रूप से जाँच हेतु प्रस्तुत करना होगा।
- (iv) दिव्यांग कोटि (दृष्टिदोष/मुक वधिर) के तहत क्षैतिज आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र की संख्या एवं उसके निर्गम की तिथि ऑन लाईन आवेदन पत्र में अंकित करनी होगी तथा प्रमाण पत्रों के जाँच के समय उक्त प्रमाण पत्र जाँच हेतु आयोग को उपलब्ध कराना होगा।

(v) सभी प्रमाण पत्रों की संख्या एवं निर्गत तिथि आवेदन में अंकित करना अनिवार्य है।

महिला/दिव्यांग कोटि के क्षैतिज आरक्षण हेतु स्थानीय निवासी सम्बन्धी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में विवरणिका में संलग्न है। आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही ऑन लाईन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करे तथा ऑन लाईन आवेदन प्रपत्र में यथा स्थान अपने जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गम तिथि दर्ज करें। उक्त प्रमाण पत्रों की मांग आयोग आवश्यकतानुसार कभी भी कर सकता है।

नोट:- सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट-I, परिशिष्ट-II एवं परिशिष्ट-III पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(iv) *स्क्राईब हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र परिशिष्ट-IV पर उपलब्ध है।*

9. Online आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित (Submit) करना : ऑन-लाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेबसाइट www.jssc.in या www.jssc.nic.in पर जाएँ एवं Online Application for JHPCCE-2018 पर Click करें तथा आवेदन पत्र भरें। आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् परीक्षाफल को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रविष्टि यथा जन्म तिथि, जाति, निःशक्त जन प्रमाण पत्र, स्थानीयता प्रमाण पत्र इत्यादि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और आवेदन पत्र में भरे गये दावे के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों के द्वारा जिन प्रमाण पत्रों की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा उन प्रमाण पत्रों की मूल प्रति जाँच कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से जाँच हेतु प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि परीक्षाफल को प्रभावित करने वाले उसी दावे की प्रवृष्टि आवेदन पत्र में करें जिसके समर्थन में उनके पास सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र हो।

10. परीक्षा का स्वरूप :

10.1 परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :- कंडिका-5 में अंकित पदों पर चयन हेतु परीक्षा एक चरण में (मुख्य परीक्षा) ली जायेगी। कंडिका 5(i) में परिधापक के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम पत्र की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। कंडिका 5(ii) - 5(vi) में पुरुष नर्स, महिला नर्स, मिश्रक, फार्मासिस्ट तथा एक्स-रे टेकनीशियन के पदों के अभ्यर्थियों को प्रथम एवं द्वितीय दोनों ही पत्रों की परीक्षाओं में सम्मिलित होना होगा।

10.2 परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न तीन अंक के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक प्रदान किये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी। **प्रथम पत्र की परीक्षा के लिए प्रश्नों का स्तर 10वीं स्तर का होगा।**

10.3 प्रथम एवं द्वितीय पत्र की परीक्षा की अवधि दो-दो घण्टे की होगी, जिसमें प्रथम पत्र के तीन उपखण्डों के अधीन प्रश्नों की संख्या निम्नवत् होगी:-

सामान्य ज्ञान	—	60 प्रश्न
हिन्दी भाषा ज्ञान	—	20 प्रश्न
अंग्रेजी भाषा ज्ञान	—	20 प्रश्न

कुल प्रश्नों की संख्या— 100 प्रश्न

10.4 पुरुष नर्स, महिला नर्स, मिश्रक, फार्मासिस्ट तथा एक्स-रे टेकनीशियन के पद के विरुद्ध आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उपर्युक्त कंडिका 10.3.1 में वर्णित प्रथम पत्र की परीक्षा के साथ द्वितीय पत्र की परीक्षा में भी सम्मिलित होना होगा। द्वितीय पत्र की परीक्षा के विषय पद की अपेक्षा के अनुरूप निम्नवत् होंगे:-

क्रमांक	पद	विषय
1.	पुरुष नर्स	ए.एन.एम. प्रशिक्षण से सम्बन्धित विषय
2.	महिला नर्स	ए.एन.एम. प्रशिक्षण से सम्बन्धित विषय
3.	मिश्रक	फार्मसी में डिप्लोमा कोर्स के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विषय
4.	फार्मासिस्ट	फार्मसी में डिप्लोमा कोर्स के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विषय
5.	एक्स-रे टेकनीशियन	एक्स-रे टेकनीशियन का डिप्लोमा कोर्स के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विषय

द्वितीय पत्र के प्रत्येक विषय में 100-100 प्रश्न रहेंगे।

10.5 परीक्षा का पाठ्यक्रम:

प्रथम पत्र तथा द्वितीय पत्र से सम्बन्धित विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम अनुलग्नक के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है।

11. मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

- (i) उपर्युक्त कंडिका-5 में वर्णित सभी पदों के अभ्यर्थियों को प्रथम पत्र की परीक्षा में उतीर्ण होने के लिए 32 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। इस पत्र में 32 प्रतिशत के कम प्राप्तांक लाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में स्थान नहीं मिलेगा। मेधा सूची से कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- (ii) परिधापक के पद की मेधा सूची प्रथम पत्र में प्राप्तांक के आधार पर गठित होगी। पुरुष नर्स, महिला नर्स, मिश्रक, फार्मासिस्ट तथा एक्स-रे टेकनीशियन के पद के लिए प्रथम एवं द्वितीय पत्र के प्राप्तांक को जोड़कर इन पदों की अलग-अलग सामान्य मेधा-सूची (Common Merit List) तैयार की जायेगी और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- (iii) मेधा-सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी वर्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा।

- (iv) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (v) उपर्युक्त उप कंडिका (i) के आधार पर तैयार सामान्य मेधा-सूची के आलोक में रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटि वार चयन सूची गठित होगी। परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा-सूची में शामिल नहीं किया जायेगा:-
- (I) अनारक्षित – 40 (चालीस) प्रतिशत
 (II) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति- 32 (बत्तीस) प्रतिशत
 (III) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग- (अनुसूची-1) – 34 (चौतीस) प्रतिशत
 (IV) पिछड़ा वर्ग- (अनुसूची-2) – 36.5 (छत्तीस दसमलव पाँच) प्रतिशत
 (V) झारखण्ड राज्य की स्थानीय महिला – 32 (बत्तीस) प्रतिशत
- (vi) उपर्युक्त उप कंडिका (v) के आधार पर मेधा-सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् यथा समय अपनी सुविधा के अनुसार आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिये चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करायी जायेगी।
- प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार अनुपस्थित हो जाते हैं अथवा उनके आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधा सूची से क्रम के अनुसार उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्रों की जाँच के लिए आयोग आमंत्रित कर सकता है।

12. परीक्षा शुल्क :

परीक्षा शुल्क रू. 1000/- (रूपये एक हजार) है।

परीक्षा शुल्क में छूट:- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू. 250/- (रूपये दो सौ पचास) है। परीक्षा शुल्क भुगतान किये बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वैसे आवेदन रद्द किये जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अपेक्षित राशि का भुगतान भी करना होगा।

13. ऑन-लाईन (Online) आवेदन को भरने के लिए दिशा निर्देश:

- (i) आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।
- क) विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक हैं वह उनके पास हैं।
- (ख) आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं हस्ताक्षर की Scanned प्रति भी अपने साथ रखें।

- (ग) सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें।
- (ii) आवेदक अपने नाम की वर्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्तनी (Spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।
- (iii) आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा- तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है।

14. आवेदन पत्र को भेजना :-

- i) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाइट www.jssc.in या www.jssc.nic.in पर जाएँ एवं Online Application for JHPCCE-2018 को Click करें तत्पश्चात् अपना पंजीकरण (Registration) करें।
- ii) पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉग-इन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी।
- iii) पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉग-इन करें एवं आप अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को Save and Continue करने के पश्चात् अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12.00 बजे मध्याह्न के पश्चात् पुनः लॉग-इन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें।
- iv) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के दो दिनों के बाद पुनः लॉगइन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ (Scanned) फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें।
- v) एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् परीक्षाफल को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रविष्टि यथा जन्म तिथि, जाति, निःशक्त जन प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, चयनित विषय इत्यादि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों के द्वारा जिन प्रमाण पत्रों की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा उन प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सत्यापन कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा /अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।
- vi) आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा।

vii) ऑनलाईन आवेदन में अंकित सभी प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जाँच प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में की जायेगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदन की अभ्यर्थिता रद्द समझी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन में अंकित जाति प्रमाण पत्र/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जाँच के समय प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण/ क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

15. आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ :- ऑन लाईन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियाँ निम्नवत् हैं:-

क) रजिस्ट्रेशन करने तथा प्रारम्भिक दर्ज करने हेतु दिनांक 01.08.2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 30.08.2018 की मध्य रात्रि तक।

ख) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 03.09.2018 की मध्य रात्रि तक।

ग) फोटा एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए दिनांक 05.09.2018 की मध्य रात्रि तक।

16. परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया:-

परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए www.onlinesbi.com पर जाकर State Bank Collect Click करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term & Condition को टिक (√) कर Proceed बटन दबाकर आगे बढ़ें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें State of Corporate/Institution के सामने Jharkhand Select करें तथा Type of Corporate/Institution के सामने Govt. Department Select करें तथा Go बटन दबा कर अगला पेज खोलें जिसमें Govt. Department Name के विरुद्ध Jharkhand Staff Selection Commission Select कर Submit बटन दबा दें। इसके बाद Select Payment category के सामने JHPCCE-2018 Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

17. नियुक्ति :

(i) परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्याधीन होगी।

18. अन्यान्य :

18.1 आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के प्रावधान प्रभावी होंगे।

18.2 आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविष्टियों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

- 18.3 आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा:-
- (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,
 - (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,
 - (iii) प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण-पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे:-
 - (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
 - (ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।
 - (ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
- 18.4 आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :-
- (i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।
 - (ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।
 - (iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना।
 - (iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।
 - (v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।
 - (vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।
 - (vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।
 - (viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।
 - (ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।
 - (x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।
 - (xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।
 - (xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।

- (xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भाँति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।
- (xv) वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हे संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा एवं इसके उल्लंघन पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का मूल्यवान अथवा कीमती वस्तु नहीं ले जाँय। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाँय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।
- (xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के Website पर Upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से फोटोयुक्त प्रमाण पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को साथ रखना होगा। जिसकी यथा आवश्यक जाँच की जा सके।
- आवेदन पत्र में दिये गये विवरणों से भिन्न प्रवेश पत्र (Admit Card) में किसी प्रविष्टि अथवा फोटो में त्रुटि हो तो अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक को आवेदन देकर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे तथा आवेदन के साथ स्वःप्रमाणित आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र (Admit Card) एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति देना अनिवार्य होगा। साथ ही फोटो पहचान पत्र मूल में अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि में अपने साथ रखना होगा।
- (xviii) परीक्षा में Carban less OMR Answer Sheet का उपयोग होगा तथा परीक्षा के बाद Computer के माध्यम से मूल्यांकन कार्य सम्पादित होता है। सभी अभ्यर्थी को हिदायत की जाती है कि OMR Answer Sheet पर आवश्यक प्रविष्टि (Entry) के अलावे उस पर किसी प्रकार का अन्य चिन्ह नहीं बनावे अन्यथा मूल्यांकन में त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। OMR Answer Sheet पर उत्तर के लिए संबंधित गोला को इस प्रकार Black Ball Point Pen से पूरा काला (Darken) करें जिससे कि किसी अन्य गोला पर

कोई निशान/चिन्ह नहीं बनने पाये अन्यथा मूल्यांकन प्रभावित होने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

- (xix) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट पर दिया जायेगा।
- (xx) अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तन का अधिकार आयोग को सुरक्षित रहेगा।
- (xxi) अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के बाद अभ्यर्थियों का अंक आयोग के वेबसाईट पर Upload होगा। प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्राप्त अंको की जानकारी नहीं दी जायेगी।

ह. / -

परीक्षा नियंत्रक।

परिशिष्ट (I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 7/जा.नि.
-19-11/2008 का.-5682 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र-I

.....
(कार्यालय का नाम)
जाति प्रमाण-पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या-.....

तिथि:-.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला
डाकघर..... थाना जिला राज्य..... अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति' श्रेणी के अन्तर्गत..... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो
झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः
गांव/कस्बा....., शहर....., जिला....., राज्य.....में
निवास करते हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम

दिनांक :-

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. ' बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. ' अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

परिशिष्ट (II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक—
7/जाति-19-11/2008 का-10007 दिनांक 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

प्रपत्र-II

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा
वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री ग्राम/शहर
थाना जिला झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो
झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य
पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001'ए' की धारा-2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)
तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त
..... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
के संकल्प संख्या-3482 दिनांक- 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत
सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक- 08.09.1993 की
अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम

दिनांक :-

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. ' झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. " झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या-3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय-समय पर यथा संशोधित।

परिशिष्ट (iii)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 14/स्थानीयता. नीति-14-03/2016 का.-4650 दिनांक- 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक- 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)
झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पिता/पति श्री..... पता-ग्राम/वार्ड/शहर.....
पो०.....थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी हैं
और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-3198 दिनांक- 18.04.2016 की कंडिका- में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :

दिनांक :

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट (IV)

झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल में पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती हेतु
संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2018
श्रुतलेखक/स्क्राइब की विवरणी

1. अभ्यर्थी का नाम :-..... 2. रोल नं. -.....
3. निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत:-.....
4. परीक्षा केन्द्र का नाम :-..... 5. परीक्षा कक्ष सं. (इसे खाली छोड़ दें)
6. श्रुतलेखक/स्क्राइब का नाम:-.....
7. श्रुतलेखक/स्क्राइब के पिता/पति का नाम:-.....
8. श्रुतलेखक/स्क्राइब का पता:-.....
9. श्रुतलेखक/स्क्राइब की जन्म तिथि-
10. श्रुतलेखक/स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता :-

परीक्षा या कोर्स का नाम	संकाय	वर्ष	उत्तीर्ण/अध्ययनरत	प्राप्तांक का प्रतिशत	बोर्ड/महाविद्यालय	अभ्यर्थी के साथ श्रुतलेखक/स्क्राइब का सम्बन्ध
1	2	3	4	5	6	7

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि श्रुतलेखक/स्क्राइब श्री/श्रीमती/सुश्री
..... के सम्बन्ध में दी गई उपर्युक्त सूचना पूर्णतः सही है।

उक्त घोषणा के गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द कर दी जाय।

श्रुतलेखक/स्क्राइब का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

11. टिप्पणी-

वीक्षक का हस्ताक्षर

पाठ्यक्रम

प्रथम पत्र:

सामान्य ज्ञान एवं भाषा ज्ञान

- (क) सामान्य अध्ययन :- इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम-सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। झारखण्ड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान-खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि के सम्बन्ध में झारखण्ड राज्य की सामान्य जानकारी।
- (ख) हिन्दी भाषा ज्ञान : हिन्दी अपठित अनुच्छेद तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे।
- (ग) अंग्रेजी भाषा ज्ञान: अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे।

SYLLABUS FOR PHARMACIST (फार्मासिस्ट) / COMPOUNDER (मिश्रक)

PHARMACEUTICS

1. Introduction of different dosage forms. Their classification with examples- their relative applications. Familiarisation with new drug delivery systems.
2. Introduction to Pharmacopocias with special reference to Indian Pharmacopocia.
3. Metrology- Systems of weights and measures. Calculations including conversion from one to another system. Percentage calculations and adjustments of products. Use of allegation method in calculations. Isotonic solutions.
4. Packing of Pharmaceuticals- Desirable features of a container types of containers study of glass and plastics as materials of containers and rubber as material for closures- their merits and demerits. Introduction to aerosol packaging.
5. Size reduction objectives and factors affecting size reduction, methods of size reduction- Study of Hammer mill, Ball mill, Fluid Energy mill and disintegrator.
6. Size separation- Size separation by sifting. Official Standard for powders. Sedimentation methods of size separation. Construction and working of cyclone separator.
7. Mixing and Homogenisation – Liquid mixing and powder mixing, mixing of semisolids, study of Silverson Mixer- Homogeniser, Planctary Mixer, Agitated powder mixer; Triple roller mill, Propeller mixer, Colloid mill and hand homogenizer. Double cone mixer.
8. Classification and filtration – theory of filtration, filter media, filter aids and selection of filters. Study of following filtration equipments- Filter Press, Sintered filters, Filter candles, Metafilter.
9. Extraction and Galenicals- (a) Study of percolation and maceration and their modification. Continuous hot extraction, - Application in extraction of tincture and extracts. (b) Introduction to Ayurvedic dosages forms.
10. Heat processes Evaporation- Definition. Factors affecting evaporation. Study of evaporating still and evaporating pan.
11. Distillation- Simple distillation and fractional distillation, steam distillation and vacuum distillation. Study of vacuum still, preparation of purified water I.P. and water for injection I.P. Construction and working of still used for the same.
12. Introduction to drying processes- Study of tray dryers, Fluidized Bed dryer vacuum Dryer and freeze Dryer.
13. Sterilization- Concept of sterilization and its differences from disinfection, thermal resistance of micro organism, Detailed studies of the following sterilization process– (a) Sterilization with moist heat, (b) dry heat sterilization, (c) Sterilization by radiation, (d) Sterilization by Filtration and (e) Gaseous sterilization. Aseptic techniques. Study of sterilization process in hospitals particularly with reference to surgical dressing and intravenous fluids, precautions for safe and effective handling of sterilization equipment.

14. Processing of tablets- Definition; Different types of compressed tablets and their properties, Processes involved in production of tablets, Tablets excipients, Defects in tablets, Evaluation of Tablets: physical standards including disintegration and Dissolution. Tablet coating- sugar coating, film coating enteric coating and microencapsulation (Tablet coating may be dealt in an elementary manner.)
15. Processing of capsules- Hard and soft gelating capsules, different sizes capsules, filling of capsules, handling and storage of capsules, special application of capsules.
16. Study of immunological products like sera vaccines, toxoids and their preparations.

PHARMACEUTICS-II

1. Dispensing Pharmacy:
 - (i) Prescriptions- Reading and understanding of prescription; Latin terms commonly used (Detail study is not necessary), modern methods of prescribing, adoption of metric system, calculation involved in dispensing.
 - (ii) Incompatibilities in Prescriptions- Study of various types of incompatibilities- Physical, Chemical and therapeutic.
 - (iii) Posology- Dose and doses of drugs, Factors influencing dose, Calculation of dose on basis of age, sex and surface area, Veterinary doses.
2. Dispensed Medications:

(Note- A detailed study of the following dispensed medication is necessary Methods of preparation with theoretical and practical aspects, use of appropriate containers and closures, special labelling requirements and storage conditions should be highlighted).

 - (i) Powders- Types of powders- Advantages and disadvantages of powders, Granules, Cachets and Tablet triturates. Preparation of different types of powders encountered in prescriptions, weighing methods, possible errors in weighing, minimum weighable amounts and weighing of material below the minimum weighable amount, geometric dilution and proper usage and care of dispensing balance.
 - (ii) Liquid - Oral Dosage Forms:
 - (a) Monophasic- Theoretical aspects including commonly use vehicles, essential adjuvant like stabilizers, colourants and flavours with examples.

Review of the following monophasic liquids with details of formulation and practical methods.

Liquids for internal administration	Liquids for external administration or used on mucus membranes
Mixtures and Concentrates Syrups, Elixirs	Gargles, Mouth washes, Throat paints, Douches, Ear drops, Nasal drops & sprays, Liniments, Lotions,

- (b) Biphasic Liquid Dosages forms:
 - (i) Suspension (elementary study) Suspension containing diffusible solids and liquids and their preparations. Study of adjuvants used like thickening agents, wetting agents, their necessity and quantity to be incorporated. Suspensions of precipitate forming liquids like tinctures, their preparation and stability. Suspensions produced by chemical reaction. An introduction of flocculated, non flocculated suspension system.
 - (ii) Emulsions- Types of emulsions, identification of emulsion system, formulation of emulsions, selection of emulsifying agents. Instabilities in emulsions. Preservation of emulsions.
 - (iii) Semi- Solid Dosages Forms:
 - (a) Ointments- Types of ointments, classification and selection of dermatological vehicles. Preparation and stability of ointments by the following processes:
 - (i) Trituration (ii) Fusion (iii) Chemical reaction (iv) Emulsification.
 - (b) Pastes- Difference between ointments and pastes, bases of pastes. Preparation of paste and their preservation.
 - (c) Jellies- An introduction to the different types of Jellies and their preparation.
 - (d) An elementary study of poultice.
 - (e) Suppositories and pessaries- Their relative merits and demerits, types of suppositories, suppository bases, classification, properties. Preparation and packing of suppositories. Use of suppositories for drug absorption.
 - (iv) Dental and Cosmetic Preparations: Introduction to Dentrifices, Facial cosmetics. Deodorants, Antiperspirants, Shampoos, Hair dressing and hair removers.
 - (v) Sterile dosages forms:
 - (a) Parenteral dosage forms- Definition, General requirements for parenteral dosage forms. Types of parenteral formulations, vehicles, adjuvants, processing, personnel, facilities and Quality control, Preparation of Intravenous fluids and admixtures- Total parenteral nutrition, dialysis fluids.
 - (b) Sterility testing, Particulate matter monitoring – Faulty seal packaging.
 - (c) Ophthalmic products- Study of essential characteristics of different ophthalmic preparations. Formulation additives, special precautions in handling and storage of ophthalmic products.

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY

1. General discussion on following inorganic compounds including important physical and chemical properties , medicinal and pharmaceutical uses, storage condition and chemical incompatibility.
 - (a) Acids, bases and buffers. Boric acid, Hydrochloric acid, strong ammonium hydroxide, Calcium hydroxide, sodium hydroxide and official buffers.
 - (b) Antioxidants- Hypophosphorous acid, sulphur dioxide, Sodium bisulphite, Sodium metabisulphite, Sodium thiosulphate, Nitrogen and Sodium Nitrite.
 - (c) Gastrointestinal agents- (i) Acidifying agents, dilute Hydrochloric acid. (ii) Antacids- Sodium bicarbonate, Aluminium hydroxide gel, Aluminium Phosphate, Calcium carbonate, Magnesium carbonate, Magnesium trisilicate, Magnesium oxide, Combination of antacid preparations. (iii) Protective and Adsorbents- Bismuth subcarbonate and Kaolin. (iv) Saline Cathartics- Sodium Potassium tartrate and Magnesium sulphate.
 - (d) Topical Agents- (i) Protective- Talc, Zinc oxide, Calamine, Zinc stearate, Titanium dioxide, Silicon Polymers. (ii) Antimicrobials and Astringents- Hydrogen peroxide, Potassium permanganate, Chlorinated lime, Iodine, Solutions of Iodine, Povidone iodine, boric acid, Borax, Silver nitrate, Mild silver protein, Mercury, Yellow Mercuric oxide, Ammoniated Mercury. (iii) Sulphur and its compounds- Sublimed sulphur, precipitated sulphur, Selenium sulphide. (iv) Astringents- Alum and Zinc sulphate.
 - (e) Dental products- Sodium fluoride, Stannous fluoride, Calcium carbonate, Sodium meta phosphate, Dicalcium phosphate, Strontium chloride, Zinc chloride.
 - (f) Inhalants- Oxygen, Carbon dioxide, Nitrous oxide.
 - (g) Respiratory stimulants- Ammonium carbonate.
 - (h) Expectorants and Emetics- Ammonium chloride, Potassium iodide, Antimony Potassium tartrate.
 - (i) Antidote- Sodium nitrate.
2. Major Intra and Extracellular electrolytes-
 - (a) Electrolytes used for replacement therapy- Sodium chloride and its preparations, Potassium chloride and its preparations.
 - (b) Physiological Acid- base balance and electrolytes used- Sodium acetate, Potassium acetate, Sodium bicarbonate injection, Sodium citrate, Potassium citrate, Sodium lactate injection, Ammonium chloride and its injection.
 - (c) Combination of oral electrolyte powder and solutions.
3. Inorganic official compounds of Iron, Iodine AND Calcium ferrous sulphate and Calcium gluconate.
4. Radio pharmaceuticals and Contrast media- Radio activity- Alpha, Beta and Gamma radiation, Biological effects of radiation, measurement of radio activity, G.M. Counter, Radio isotopes- their uses, storage and precautions with special reference to the official preparation. Radio opaque. Contrast media- Barium sulphate.

5. Quality control of drugs and pharmaceuticals- Importance of quality control, significant errors, methods used for quality control, sources of impurities in pharmaceuticals. Limit test for Arsenic, Chloride, sulphate, Iron and heavy metals.
6. Identification test for cations and anions as per Indian Pharmacopoeia.

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY-II

1. Introduction to the nomenclature of organic chemical systems with particular reference to heterocyclic system containing up to 3 rings.
2. The chemistry of following pharmaceutical organic compound, covering their nomenclature, chemical structure, uses and important physical and chemical properties (Chemical structure of only those compounds marked with asterisk(*)).
3. The stability and storage conditions and the different types of Pharmaceutical formulation of drugs and their popular brand names.

Antiseptics and Disinfectants- Proflavine*, Benzalkoniumchlorides, Cetrimide, Chlorocresol*, Chloroxylylene, Formaldehyde solution, Hexachlorophene, Liquefied phenol, Nitrofurantoin.

Sulfonamides- Sulfadiazene, Sulfaguanidine*, Phthalylsulfathiazole, Succinylsulfathiazole, Sulfamethoxypyridazine, Sulfamethoxazole, co-trimoxazole, Sulfacetamide*.

Antileprotic drugs- Clofazimine, Thiambutosine, Dapsone*, Solapson.

Anti tubercular drugs- Isoniazid*, PAS*, Streptomycin, Rifampicine, Ethambutol*, Thiacetazone, Ethionamide, Cycloserine, Pyrazinamides*.

Anti amoebic and Anthelmintic Drugs- Emetine, Metronidazole*, Halogenated Hydroxyquinolines, diloxanidefuroate, Paramomycin Piperazine*, Mebendazole, D.E.C.*.

Antibiotics- Benzyl Penicillin*, Phenoxymethyl Penicillin*, Benzathine Penicillin, Ampicillin*, Cloxacillin, Carbenicillin, Gentamicin, Neomycin, Erythromycin, Tetracycline, Cephalexin, Cephaloridine, Cephalothin, Griscofulvin, Chloramphenicol.

Antifungal agents- Undecylenic acid, Tolnaftate, Nystatin, Amphotericin, Flucanazole.

Antimalarial drugs- Chloroquin*, Amodiaquine, Primaquine, Proguanil, Pyrimethamine*, Quinine, Trimethoprim.

Tranquilizers- Chlorpromazine*, Prochlorperazine, Trifluoperazine, Thiothixene, Haloperidol*, Triperidol, Oxypertine, Chlordiazepoxide, Diazepam*, Lorazepam, Meprobamate.

Hypnotics- Phenobarbitone*, Butobarbitone, Cyclobarbitone, Nitrazepam, Phenobarbitone Glutethimide*, Methpyrlyone, Paraldehyde, Triclofor sodium.

General Anaesthetics- Halothane*, Cyclopropane*, Diethyl ether*, Methohexial sodium, Thiopental sodium, Trichloroethylene.

Antidepressant drugs- Amitriptyline, Nortriptyline, Imipramine*, Phenelzine, Tranylepromine.

Analeptics- Theophylline, Caffeine*, Coramine*, Dextroamphetamine.

Adrenergic Drugs- Adrenaline*, Noradrenaline, Isoprenaline*, Salbutamol, Terbutaline, Ephedrine*, Pseudoephedrine.

Adrenergic Antagonist- Tolazine, Propranolol*, Practolol.

Cholinergic Drugs- Neostigmine*, Pyridostigmine, Pralidoxime, Pilocarpine, Physostigmine*.

Cholinergic Antagonist- Atropine*, Hyoscine, Homatropine, Propantheline*, Benztropine, Tropicamide, Biperiden*.

Diuretic drugs- Furosemide, Chlorothiazide, Hydrochlorothiazide*, Benzthiazide, Urea*, Mannitol*, Ethacrynic acid.

Cardiovascular Drugs- Ethyle nitrite, Glyceryl trinitrate, Alpha methyl dopa, Guanethidine, Clofhrate Quinidine .

Hypoglycemic Agents- Insulin, Chlorpropamide*, Tolbutamide, Glibenclamide, Phenformin*, Metaformin.

Coagulants and Anti- Coagulants- Heparin, Thrombin, Menadione*, Bishydroxycoumarine, Warfarin Sodium.

Local Anaesthetics- Lignocaine*, Procaine*, Benzocaine.

Histamine and Anti- Histamine Agents- Histamine, Diphenhydramine*, Promethazine, Cyprohepatadine, Mepyramine, Pheniramine, Chlorpheniramine*.

Analgesics and Anti- pyretics- Morphin, Pethidine*, Codeine, Methadone, Aspirin*, Paracetamol*, Analgin, Dextropropoxyphene, Pentazocine.

Non steroidal anti inflammatory Agents- Indomethacine*, Phenylebutazone*, Oxyphenbutazone, Ibuprofen, Thyroxine and Antihydroids-Thyroxine*, Methimazole, Methylethiouracil, Propylthiouracil.

Diagnostic agents- Iopanoic acid, Propyliodone, Sulfobromophthalein.

SodiumIndigotindisulfonate, Indigo Carmine, Evans blue, Congo red, Fluorescein Sodium.

Anticonvulsant, cardiac glycosides, Antiarrhythmic antihypertensives & vitamins.
Steroidal drugs- Betamethazone, Cortisone, Hydrocortisone, prednisolone, Progesterone, Oestradiol, Nandrolone.

PHARMACOGNOSY

1. Definition, history and scope of Pharmacognosy including Indian system of medicine.
2. Various systems of classification of drugs of natural origin.
3. Adulteration and drug evaluation; significance of Pharmacopocial standards.
4. Brief outline of occurrence, distribution, outline of isolation, identification tests, therapeutic effects and pharmaceutical application of alkaloids, terpenoids, glycosides, volatile oils, tannins and resins.
5. Occurrence , distribution, organoleptic evaluation, chemical constituents including tests wherever applicable and therapeutic efficacy of following categories of drugs-
 - (a) Laxatives: Aloes, Rhuburb, Castor oil, Ispaghula, Senna.
 - (b) Cardiotonics- Digitalis, Arjuna.
 - (c) Carminatives & G.I. regulators- Umbelliferous fruits, Coriander, Fennel, Ajowan, Cardamom, Ginger, Black pepper, Asafoetida, Nutmeg, Cinnamon, Clove.
 - (d) Astringents- Catechu.
 - (e) Drugs acting on nervous system- Hyoscyamus, Belladonna, Aconite, Ashwagandha, Ephedra, Opium, Cannabis, Nux vomica.
 - (f) Antihypertensives- Raulwolfia.
 - (g) Antitussives- Vasaka, Tolu balsam, Tulsi.
 - (h) Antirheumatics- Guggul, Colchium.
 - (i) Antitumour- Vinaca.
 - (j) Antileprotics- Chaulmoogra oil.
 - (k) Antidiabetics- Pterocarpus, Gymnema, Sylvestro.
 - (l) Diuretics- Gokhru, Punarnava.
 - (m) Antidysentrics- Ipecacuanha.
 - (n) Antiseptic and disinfectants- Benzoin, Myrrh, Nim, curcuma.
 - (o) Antimalarials- Cinchona.
 - (p) Oxytocics- Ergot.
 - (q) Vitamins- Shark liver oil and Amla.
 - (r) Enzymes- Papaya, Diastase, Yeasts.
 - (s) Perfumes and flavouring agents- Peppermint oil, Lemon oil, Orange oil, Lemon grass oil, Sandalwood.
 - (t) Pharmaceutical aids- Honey, Arachis oil, Kaolin, Pectin, Olive oil, Lanolin, Bees wax, Acacia, Tragacanth, Sodium alginate, Agar, Gaur gum, Gelatin.
 - (u) Miscellaneous- Liquorice, Garlic, Picrorhiza, Dioscorea, Linseed, Shatawari, Shankpushpi, Pyrethrum, Tobacco.

6. Collection and preparation of crude drug for the market as exemplified by Ergot, Opium, Rauwolfia, Digitalis, Senna.
7. Study of source, preparation and identification of fibres used in sutures and surgical dressings- cotton, silk, wool and regenerated fibres.
8. Gross anatomical studies of Senna, Datura, Cinnamon, Cinchona, Fennel, Clove, Ginger, Nux vomica & Ipecacuanha.

BIOCHEMISTRY AND CLINICAL PATHOLOGY.

- a. Introduction to biochemistry.
- b. Brief Chemistry and role of proteins, polypeptides and amino acids, classification, Quantitative tests, Biological value, Deficiency diseases.
- c. Brief chemistry and role of carbohydrates, Classification, qualitative tests. Diseases related to carbohydrate metabolism.
- d. Brief chemistry and role of Lipids, Classification, qualitative tests, Diseases related to lipid metabolism.
- e. Brief chemistry and role of vitamins and enzymes.
- f. Role of minerals and water in life process.
- g. Enzymes: Brief concept of enzymic action, factors affecting it, therapeutic and pharmaceutical importance.
- h. Brief concept of normal and abnormal metabolism of proteins, carbohydrates and lipids.
- i. Introduction to pathology of blood and urine.
 - (a) Lymphocytes and Platelets, their role in health and disease.
 - (b) Erythrocytes – Abnormal cells and their significance.
 - (c) Abnormal constituents of urine and their significance in disease.

HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY

- i. Scope of Anatomy and Physiology.
- ii. Definition of various terms used in Anatomy. Structure of cell, function of its components with special reference to mitochondria and micomes.
- iii. Elementary tissues of the body i.e. epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervoustissue.
- iv. Structure and function of skeleton, classification of joints and their function, joint disorder.
- v. Composition of Blood, function of blood elements. Blood group and coagulation of blood. Brief information regarding disorder of blood.
- vi. Name and function of lymph glands.
- vii. Structure and function of various parts of the heart. Arterial and venous system with special reference to the names and positions of main arteries and veins. Blood pressure and its recording. Brief information about cardiovascular disorders.
- viii. Various parts of respiratory system and their functions. Physiology of respiration.

- ix. Various parts of urinary system and their functions, structure and function of kidney. Physiology of urine formation. Pathophysiology of renal disease and oedema.
- x. Structure of skeletal muscle, physiology of muscle contraction. Names, position, attachments and function of various skeletal muscles. Physiology of neuromuscular junction.
- xi. Various parts of central nervous system, brain and its parts, functions and reflex action, anatomy and physiology of autonomic nervous system
- xii. Elementary knowledge of structure and functions of the organs of taste, smell, ear, eyes and skin. Physiology of pain.
- xiii. Digestive system, names of the various parts of digestive system and their functions. Structure and functions of liver, physiology of digestion and absorption.
- xiv. Endocrine glands and hormones. Locations of the glands, their hormones and functions. Pituitary, thyroid, Adrenal and Pancreas.
- xv. Reproductive system- Physiology and Anatomy of Reproductive system.

HEALTH EDUCATION AND COMMUNITY PHARMACY

1. Concept of health – Definition of physical health, mental health, social health, spiritual health, determinants of health, indicators of health, concept of disease, natural history of diseases, the disease agents, concept of prevention of diseases.
2. Nutrition and health- Classification of foods, requirements, diseases induced due to deficiency of proteins, vitamins and minerals- treatment and prevention.
3. Demography and family planning- Demography cycle, fertility, family planning, contraceptive methods, behavioural methods, natural family planning method, chemical method, mechanical methods, hormonal contraceptives, population problem of India.
4. First aid- Emergency treatment in shock, snake bite, burns, poisoning, heart disease, fractures and resuscitation methods. Elements of minor surgery and dressings.
5. Environment and health- Sources of water supply, water pollution, purification of water, health air, noise, light, solid waste disposal and control- medical entomology, anthropod borne diseases and control, rodents, animal and diseases.
6. Fundamental principles of microbiology, classification of microbes, isolation, staining techniques of organisms of common diseases.
7. Communicable diseases- Causative agents, modes of transmission and prevention.
 - (a) Respiratory infections- Chicken pox, measles, Influenza, diphtheria, whooping cough and tuberculosis.
 - (b) Intestinal infections- Poliomyelitis, Hepatitis, Cholera, Typhoid, Food poisoning, Hook worm infection.
 - (c) Anthropod borne infection- Plague, Malaria, Filariasis.
 - (d) Surface infections- Rabies, Trachoma, Tetanus, Leprosy.
 - (e) Sexually transmitted diseases- Syphilis, Gonorrhoea, AIDS.

8. Non communicable diseases- Causative agents, prevention, care and control, cancer, diabetes, blindness, cardiovascular diseases.
9. Epidemiology- It's scope, methods, dynamics of disease transmission, immunity, immunization, Immunological products and their schedule, principle of disease control and prevention, hospital acquired infection, prevention and control, Disinfection, types of disinfection, disinfection procedures for faces, urine, sputum, dead bodies, instruments.

PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY

1. Introduction to Pharmacology, scope of pharmacology.
2. Routes of administration of drugs, their advantages and disadvantages,
3. Various process of absorption of drug and the factors affecting them, Metabolism, distribution and excretion of drugs.
4. General mechanism of drugs action and the factors which modify drug action.
5. Pharmacological classification of drugs. The discussion of drug should emphasise following aspects-
 - (i) Drugs acting on the central nervous system:
 - (a) General anaesthetics, adjunction to anaesthesia, intravenous anaesthetics,
 - (b) Analgesic antipyretics and non steroidal anti- inflammatory drugs, Narcotics analgesic, Antirheumatic and anti-gout remedies, Sedatives and Hypnotics, Psychopharmacological agents, Anti convulsants, analeptics.
 - (c) Centrally acting muscles relaxants and anti parkinsonism agents.
 - (i) Local anaesthetics.
 - (ii) Drug acting on autonomic nervous system.
 - (a) Cholinergic drug, Anticholinergic drugs & anti cholinesterase drugs,
 - (b) Adrenergic drugs and adrenergic receptor blockers.
 - (c) Neurone blockers and ganglion blockers.
 - (d) Nueromuscular blockers, drugs used in myasthenia gravis.
 - (iii) Drugs acting on eyes, mydriatics, drugs used in glaucoma.
 - (iv) Drugs acting on respiratory system- Respiratory stimulants, Bronchodialators, Nasal decongestants, Expectorants and Antitussive agents.
 - (v) Antacids, Physiological role of histamine and Anti histamines, and serotonin, Histamine and Antihistamines, Prostaglandins.
 - (vi) Cardio vascular drugs, Cardiotonics, Antiarrhythmic agents, Antianlginal Agents, Anti hypertensive agents, Peripheral Vasodialators and drugs used in arterosclerosis.
 - (vii) Drugs acting on the blood and blood forming organs, Haematinics, Coagulants and anti coagulants, Haemostatics, Blood substitutes and plasma expanders.
 - (viii) Drugs affecting renal function- Diuretics and anti diuretics.

- (ix) Hormones and hormone antagonists- hypoglycemic agents, Anti thyroid drugs, sex hormones and oral contraceptives, Corticosteroids.
 - (x) Drugs acting on digestive system- Carminatives, digestants,, Bitters, Antacids and drugs used in peptic ulcers, purgatives and laxatives, Anti diarrhoeals, Emetics, Anti emetics, Anti- spasmodic.
- (6) Chemotherapy of microbial diseases- Urinary antiseptic, Sulfonamides, Penicillin, Streptomycin, Tetracyclines and other antibiotics, Anti tubercular agents, Anti fungal agents, Anti viral drugs, Anti leprotic drugs.
 - (7) Chemotherapy of protozoal diseases, Anti helminthic drug.
 - (8) Chemotherapy of cancer.
 - (9) Disinfectants and antiseptic.
- A detailed study of the action of drugs on each organ is not necessary.

PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE

1. Origin and nature of pharmaceutical legislation in India, it's scope and objectives. Evolution of the " Concept of Pharmacy" as an integral part of Health care system.
2. Principles and significance professional ethics, Critical study of the code of Pharmaceutical Ethics drafted by Pharmacy Council of India.
3. Pharmacy Act, 1948- The General study of the Pharmacy Act with special reference to Education Regulations, working of State and Central Councils, Constitution of these Councils and functions, Registration procedure under the Act.
4. The drugs and cosmetics Act, 1940- General study of drugs and cosmetics Act and Rules there under. Definitions and salient features related to retail and wholesale distribution of drugs. The powers of Inspectors, the sample procedures and the procedure and formalities in obtaining license under the rules. Facilities to be provided for running a Pharmacy effectively. General study of the schedules with special reference of schedules C, C1,F,G,J,H,P and X and salient features of labeling and storage condition of drugs.
5. The Drugs and Magic Remedies (Objectionable advertisements) Act,1954- General study of the Act, Objectives, special reference to be laid on Advertisements. Magic remedies and objectionable and permitted Advertisements- disease which cannot be claimed to be cured.
6. Narcotic drugs and Psychotropic Substances Act 1985-A, brief study of the Act with special reference to it's objectives, offences and punishment.
7. Brief introduction to the study of the following acts-
 - (a) Latest Drugs (Price Control) Order in force.
 - (b) Poisons Act- 1919 (As amended to date).
 - (c) Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act,1955 (as amended to date).
 - (d) Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (as amended to date).

DRUG STORE AND BUSINESS MANAGEMENT

Part 1- COMMERCE

1. Introduction- Trade, Industry and Commercial Functions and subdivision of Commerce, Introduction to Elements of Economics and Management.
2. Forms of business organizations.
3. Channels of distribution.
4. Drug house management- Selection of site, Space lay out and legal requirement. Importance and objectives of purchasing, selection of suppliers, credit information, tender, contracts and price determination and legal requirements there to. Codification, handling of drug stores and other hospital supplies.
5. Inventory control- Objectives and importance, modern techniques like ABC, VED analysis, the lead time, inventory carrying cost, safety stock, minimum and maximum stock levels, economic order quantity, scrap and surplus disposal.
6. Sales Promotion, Market research, salesmanship, quality of salesman, Advertising and window Display.
7. Recruitment, training, evaluation and compensation of the pharmacist.
8. Banking and Finance Service and functions of banks, Finance planning and source of finance.

Part-2 - ACCOUNTANCY

1. Introduction to accounting concepts and convention, double entry book keeping, different kinds of account.
2. Cash book.
3. General ledger and trial balance,
4. Profit and loss account, balance sheet.
5. Simple technique of analyzing financial statements.
6. Introduction to budgeting.

HOSPITAL AND CLINICAL PHARMACY

Part 1- Hospital Pharmacy

1. Hospitals- Definition, Function, Classification based on various criteria, organization, management and Health delivery system in India.
2. Hospital pharmacy-
 - (a) Definition.
 - (b) Function and objectives of Hospital Pharmaceutical Service.
 - (c) Location, layout, flow chart of material and men.
 - (d) Personnel and facilities requirements including equipments based on individual and basic needs. Requirement and abilities required for Hospital pharmacist.
3. Drug distribution system in Hospitals:
 - (a) Out patient service.
 - (b) In patient services- (i) types of services, (ii) detailed discussion of Unit dose system, Floor ward stock system, satellite pharmacy services, Central Sterile services, Bed side pharmacy.

4. Manufacturing:
 - (a) Economical considerations estimation of demand.
 - (b) Sterile manufacture- Large and small volume parenterals, facilities, requirements, layout, production planning, man power requirements.
 - (c) Non sterile manufacture- Liquid orals, externals- bulk concentrates.
 - (d) Procurement of stores and testing of raw material.
5. Nomenclature and uses of surgical instruments and Hospital Equipments and health accessories.
6. PTC (Pharmacy Therapeutic Committee), Hospital Formulary system and their organization, functioning, composition.
7. Drug Information service and drug Information bulletin.
8. Surgical dressing like cotton, gauze, bandage and adhesive tapes including their pharmacopocial test for quality. Other hospital supplies e.g. I V sets, Ryals tubes, D.G. sets, Catheters, Syringes etc.
9. Application of Computer in maintenance of records, inventory control, medication monitoring, drug information and data storage and retrieval in hospital and retail pharmacy establishments.

Part-2 - Clinical Pharmacy

1. Introduction to Clinical Pharmacy Practice- definition, scope.
2. Modern dispensing aspects- Pharmacists and patient counseling and advice for the use of common drugs, medication history.
3. Common daily terminology used in practice of medicine.
4. Diseases, manifestation and pathophysiology including salient systems to understand the disease like Tuberculosis, Hepatitis, Rheumatoid Arthritis, Cardiovascular diseases, Epilepsy, Diabetes, Peptic Ulcer, Hypertension.
5. Physiological parameters with their significance.
6. Drug Interactions:
 - (a) Definition and introduction,
 - (b) Mechanism of drug interaction,
 - (c) Drugs- drug interaction, with reference to analgesics, diuretics, cardiovascular drugs, Gastrointestinal agents, Vitamins and Hypoglycemic agents.
 - (d) Drug- food interaction.
7. Adverse drug reactions: definition and significance. Drugs- induced diseases and Teratogenicity.
8. Drugs in clinical Toxicity- Introduction, general treatment in poisoning, systematic antidotes, Treatment of insecticide poisoning, heavy metal poison, Narcotic drugs, Barbiturates, Organo phosphorous poison.
9. Drug dependence, drug abuse, addictive drugs and their treatment, complication.
10. Bio- availability of drugs including factors affecting it.

SYLLABUS FOR X-Ray Technician

Anatomy and Physiology

1. Applied Anatomy and Physiology in relation to Radiology
2. Different radiographic positioning.

Applied Physics

1. Discovery, Production of X-rays.
2. Modern X-ray tubes and X-ray tube circuits, X-ray spectrum.
3. Factors affecting X-ray spectrum.
4. Half Value Layer, Filtration etc.
5. Inverse Square Law.
6. ALARA - principle of Radiation Protection.
7. Different radiation monitoring instruments in Radiology & Radiology & Radiotherapy Department.
8. International recommendations of permissible Exposure Dose limits for Radiation workers and public.
9. Dark room, Manual and Automatic film processing, Density, Contrast, Speed Image un-sharpness, Distortion etc. Film fault in radiography and remedy.
10. Type of radiographic films.

General Physics

1. Basic idea of measurement of Physical Quantities and their Units. Heat energy and Temperature.
2. Conduction, Convection and Radiation.
3. Structure of atom, Electro-magnetic radiation, Theory of Wave and Quanta, Electromagnetic induction, Electric motor and generators, Transformers.
4. Rectifiers, Radio isotopes, Natural and Artificial radioactivity.
5. Interaction of radiation with matter.
6. Campton interaction. Application of Photoelectric effect in diagnostic radiology.

X-Ray

- Construction of X-ray tubes
- Filament design
- Anode design
- Methods of heat dissipation
- Heat unit
- Tube rating charts
- Three phase X-ray generator
- Common causes of X-ray tube failure
- Heal effect
- Line focus Principle
- Special Radiographic Techniques
- Tomography
- Miniature X-ray etc. radiographic factors,
- Grid and Grid parameters,
- Grid faults,
- Layout of X-ray Installation

SYLLABUS FOR A.N.M. (Male/Female)

Community Health Nursing

Concept of Health, Community Health practices, Health problems and policies, Health Organization, Role of Health team, Structure of Community, Rural community, Dynamics of Community, Community need assessment, Community methods & Media, Counseling, Community based Rehabilitation.

Health Promotion

- A. **Nutrition:** Essential nutrients, Nutritional problems, Nutritional assessment, promotion of Nutrition.
- B. **Human body and Hygiene:** The Human Body, Hygiene of the Body, Optimal functioning of the Body.
- C. **Environmental Sanitation** – Environmental Sanitation, Safe water, Disposal of Excreta and Waste, Community participation.
- D. **Mental Health** – Mental Health, Maladjustment, Mental illness, Old age care.

Primary Health Care

- A. **Infection and Immunization** – Concept of Disease, Infection, Immunity and Body defense mechanisms, immunization, Collection of Specimen (Principles & Methods), Disinfection and Sterilization, waste Disposal.
- B. **Communicable Diseases** – Introduction to Communicable diseases, Communicable diseases, Care in Communicable diseases, Epidemic Management.
- C. **Community Health Problems** – Care of the Sick In the Community, Fever (Vital signs), Respiratory problems (Types & Classification), Aches and Pains (Nursing Management), Digestive problems, Urinary Problems, Cardiovascular problems (Signs & Symptoms), Diseases of the nervous system (Neurological problems, Metabolic diseases, Diseases of Musculo-skeletal system, care of Handicap.
- D. **Primary Medical Care** – Types of Drugs, Administration of Drugs, Drugs used in minor ailments, Common Emergency Drugs
- E. **First Aid and Referral** – Need for First Aid, Minor Injuries and Ailments, Fractures, Life threatening conditions.

Child Health Nursing

Growth & Development, Nutrition of Infants and Children, Children's Rights, Care of the sick child, Care of School children, School Health, Care of Adolescents, Care of Adolescent girls

Midwifery

Human Reproductive System, Female Pelvis and Foetal skull, Foetus and Placenta, Normal Pregnancy, Antenatal Care, Normal Labour, Care during Normal labour, Normal puerperium, Care of New-born, High risk New-Born, Safe Mother-hood, High risk Pregnancies, Abnormalities of pregnancy, Abortion, Abnormal childbirth, Abnormal puerperium, Surgical Intervention, Medications used In midwifery, Life cycle approach, Status of women and empowerment, women Health Problems, RTIs and STIs, HIV/AIDS, Infertility, Population Education, Family welfare.

Health Centre Management

The Sub-centre, Maintenance of Stock, Co-ordination, Implementation of National health programs, Update knowledge.